



निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला पत्नीयक, श्रीमान्गर के आदेश क्रमांक - पत्नी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी राजेश बिन्दू पुत्र श्री लक्ष्मण जाति बिन्दू निवासी रोहिलवाली सुथारन तहसील व जिला श्रीमानगर ने प्रार्थना पत्र, बाण पत्र, मूल वसीद व आई.पी.एम. पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, मुंल वसीद व आई.पी.एम. पत्र, एवं दो गवाहों के बाण पत्र, आई.पी.एम. प्रक पत्र कर निवेदन किया है कि उक्तकी माता श्रीमती लिखमा देवी पत्नी श्री लक्ष्मण जाति बिन्दू निवासी रोहिलवाली सुथारन तहसील व जिला श्रीमानगर द्वारा बन्द वसीयत 17.09.14 को करवाई थी उक्तका खर्चादि दिनांक 20.08.2015 को ही चुका है। जो खोली जाकर पत्नीयत की जावे।

प्रार्थी को गवाह श्री बसोपत राम पुत्र रामरख एवं श्री शरण पुत्र श्री बुधराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री मुकेश कुमार अहिवावत, श्रीमानगर ने की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिविल प्रकैट एवं लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पत्नीयक महादय

28/11/18

28/11/18

2019/00126

6/18/18

28.05.

0/-